भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 276

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सहायता और प्रोत्साहन

†***276. श्री बिप्लब कुमार देबः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की गई सहायता और प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पथ विक्रेताओं के वित्तीय समावेशन और उनके लिए संस्थागत ऋण की सुलभता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या पथ विक्रेताओं, विशेषकर त्रिपुरा में पथ विक्रेताओं की आजीविका पर इस योजना के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सहायता और प्रोत्साहन" के विषय में दिनांक 06.08.2026 को लोकसभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 276 (16वां स्थान) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना पथ विक्रेताओं को जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 1 जून, 2020 को शुरू की गई थी। अगस्त, 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनर्गठित योजना के अंतर्गत, पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी हेतु तीन चरणों में अधिकतम ₹15,000, ₹25,000 तथा ₹50,000 तक के सावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं, जिनका पुनर्भुगतान क्रमशः 12 माह, 18 माह तथा 36 माह की अवधि में मासिक किस्तों के माध्यम से किया जाता है। 12 जुलाई, 2026 तक 76.95 लाख पथ विक्रेताओं ने 18,475.06 करोड़ रुपये की कुल राशि के 1.15 करोड़ जमानत-मुक्त ऋणों का लाभ प्राप्त किया है।

नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए योजना के अंतर्गत ऋणों के नियमित पुनर्भुगतान पर 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

पुनर्गठित योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण के ऋण पुनर्भुगतान कर चुके लाभार्थियों के लिए यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की गई है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए पथ विक्रेता लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋण के प्रत्येक ऋण चरण के लिए उन्हें 12 माह की अवधि तक प्रति माह 100 रुपये तक का कैशबैक (अधिकतम 1,200 रुपये का डिजिटल प्रोत्साहन) देकर प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्गठित योजना में पथ विक्रेता लाभार्थियों द्वारा कम-से-कम 2,000 रुपये की थोक खरीद पर डिजिटल लेनदेन करने के लिए 4 तिमाहियों तक प्रति तिमाही अधिकतम 100 रुपये का कैशबैक (अधिकतम 400 रुपये का प्रोत्साहन) प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत 'स्वनिधि से समृद्धि' घटक को 04 जनवरी, 2021 को लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। यह केंद्र सरकार की आठ चयनित कल्याणकारी योजनाओं को परस्पर जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। 12 जुलाई 2026 तक, 50.63 लाख पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग पूरी की जा चुकी है और उन्हें कुल 1.56 करोड़ योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(ख): प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना तथा पथ विक्रेताओं के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र पथ विक्रेताओं को जमानत-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण तीन क्रमिक चरणों में, क्रमशः ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 तक प्रदान किया जाता है। समय पर ऋण चुकाने पर पथ विक्रेता अगले उच्च ऋण चरण के लिए पात्र हो जाते हैं, जिससे वे अधिक राशि का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उधार लेने की लागत कम करने तथा समय पर ऋण चुकाने को प्रोत्साहित करने के लिए योजना के अंतर्गत समय पर ऋण पुनर्भुगतान करने पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, ऋणदाता संस्थाओं तथा क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं को ऋण जोखिम को शामिल करने हेतु क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है, जिससे वे दृढ़ विश्वास के साथ जमानत मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।

उन लाभार्थियों, जिन्होंने ऋण के दूसरे चरण का पुनर्भुगतान कर दिया है, उनके लिए यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया गया है। इसके माध्यम से उन्हें अपनी तत्काल व्यावसायिक/वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।

पीएम स्वनिधि पोर्टल अथवा पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों(यूएलबी) और ब्लॉकों के अधिकारी योजना के अंतर्गत पात्र पथ विक्रेताओं को ऋण तथा क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं।

(ग): त्रिपुरा में, योजना की शुरुआत के बाद से 12 जुलाई 2026 तक, 6,202 पथ विक्रेताओं ने 15.88 करोड़ रुपये की राशि के 9,517 जमानत-मुक्त ऋण का लाभ उठाया है।

पीएम स्वनिधि योजना के प्रभाव का आकलन करने हेतु वर्ष 2023 एवं 2025 में हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) द्वारा अध्ययन किया गया। वर्ष 2023 का अध्ययन देश के 100 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 5,000 से अधिक लाभार्थियों को शामिल करते हुए किया गया, जिसमें यह पाया गया कि 95 प्रतिशत लाभार्थियों के लिए पीएम स्वनिधि के अंतर्गत प्राप्त ऋण किसी बैंक से उनका पहला ऋण था। वर्ष 2025 का अध्ययन देश के 99 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 5,000 से अधिक लाभार्थियों को शामिल करते हुए किया गया (जिसमें लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वर्ष 2023 के अध्ययन के नमूने में भाग लिया था), जिसमें यह पाया गया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच पीएम स्वनिधि ऋण प्राप्तकर्ताओं की औसत वार्षिकीकृत व्यावसायिक आय में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सभी ऋण चक्रों में लगभग 30 प्रतिशत ऋणधारकों ने बताया कि उनके पास पीएम स्वनिधि ऋण के अतिरिक्त अन्य ऋण भी हैं, जो इस तथ्य को रेखांकित करता है कि यह योजना उन पथ विक्रेताओं के लिए क्रेडिट हिस्ट्री विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिन्हें पहले औपचारिक ऋण व्यवस्था तक बहुत कम या बिल्कुल भी पहुँच प्राप्त नहीं थी।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि इस योजना का प्रभाव केवल व्यवसाय की रिकवरी तक ही सीमित नहीं है। ऋण संबंधी बाधाओं को कम करने तथा परिवारों के नकदी प्रवाह को स्थिर करने के माध्यम से इस योजना ने पथ विक्रेता परिवारों को अपने जीवन-स्तर में सुधार करने, खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने तथा बच्चों की शिक्षा को सहयोग प्रदान करने में सक्षम बनाया है।

(घ): पीएम स्वनिधि योजना को शुरू में सांविधिक शहरी क्षेत्रों में लागू किया गया था। पात्रता का विस्तार आसपास के शहरी क्षेत्रों के उन पथ विक्रेताओं तक भी किया गया, जो शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की भौगोलिक सीमाओं के भीतर विक्रय कार्य करते हैं। पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत योजना के क्षेत्र का विस्तार सांविधिक शहरी क्षेत्रों से आगे बढ़ाकर क्रमिक रूप से जनगणना नगरों, शहर के आसपास के क्षेत्रों आदि को भी शामिल किया गया है।

पथ विक्रेता लाभार्थियों को व्यापक रूप से शामिल करने को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कई पहलें की गई हैं, जिनमें रेडियो जिंगल, टेलीविजन तथा समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाना शामिल है। पथ विक्रेताओं तक योजना के लाभ की पहुँच और उनके प्रसार को सुगम बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री भी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों तथा बैंकों/ऋणदाता संस्थाओं के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

इस योजना के अंतर्गत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने रेहड़ी-पटरी वालों तक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों का आयोजन किया है। 27 अगस्त 2025 को पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना के अनुमोदन के बाद, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित शहरी स्थानीय निकायों में समय-समय पर लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया गया है। ये मेले योजना की नई विशेषताओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हैं और विक्रेता जुटाने, ऋण आवेदन जमा करने, तीव्र ऋण वितरण और लाभार्थियों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग में सहायता करते हैं। शहरी स्थानीय निकाय, डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर्स (डीपीए) के सहयोग से नियमित रूप से डिजिटल साक्षरता शिविर भी आयोजित करते हैं। डिजिटल ऑनबोर्डिंग को बढ़ाने और रेहड़ी-पटरी वालों के बीच कैशलेस भुगतान को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए, लाभार्थियों को कैशबैक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
